

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 69/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

नरेन्द्र सिंह राजपूत पित श्री भैरूसिंह राजपूत निवासी: सायरा, पोस्ट-सायरा,
तहसील-गोगुन्दा, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सायरा उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 15/07/2024



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/69/24/761-62 दिनांक 20.06.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./आर.टी.आई/2024/716 दिनांक 02.07.2024 से अवगत कराया कि उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर एवं ऑनलाईन माध्यम से कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है जिससे सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। आवेदक द्वारा पटवार हल्का सायरा के आराजी संख्या 3522 की मौका रिपोर्ट मौके पर क्या बना हुआ है? किस-किस व्यक्ति का मकान व दुकान बनी हुई है? कितने वर्षों से बनी हुई है? कितने वर्ग फीट में मकान व दुकान बनी हुई है? एवं गैर खातेदारी से आराजी संख्या 3522 को कब खातेदारी दी गई? खातेदारी देते वक्त मौके पर क्या-क्या निर्माण किया हुआ था? एवं किस-किस का कब्जा था? किस प्रावधान व नियम से खातेदारी दी गई? से संबंधित समस्त लिखित रिपोर्ट एवं आदेश की कॉपी चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना संधारित नहीं की जाती है तथा राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) का परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसु./सू.अ.अ./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के परन्तु से स्पष्ट किया गया है कि-"परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है, जो लोक अधिकारी के पास पहले से मौजूद हो।" आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पृथक से संधारित नहीं है। सूचना की एक प्रति आवेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा रही है। आवेदक किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में नियमानुसार आवेदन कर राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में तहसील सायरा में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का जिक्र किया गया है एवं साथ में ही ऑफलाईन प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के समक्ष ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है जबकि तहसील कार्यालय सायरा में कोई ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायरा द्वारा भी अपने जवाब जरिये पत्रांक 716 दिनांक 02.07.2024 द्वारा निवेदन किया गया है कि उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर एवं ऑनलाईन माध्यम से कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है जिससे सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं अपील तहसीलदार सायरा के विरुद्ध प्रस्तुत की है। ऑफलाईन प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय सायरा में प्राप्त नहीं होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायरा द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। साथ ही तहसीलदार सायरा के जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सृजित नहीं होने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। तहसीलदार सायरा द्वारा अपीलार्थी को किसी भी समय कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार आवेदन कर राजस्व अभिलेख का निरीक्षण कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है।

चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त ही नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को चाहिए कि वह सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायरा के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना को प्राप्त कर सकता है।

अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सायरा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़्तर दाखिल हो।



M
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलेक्टर, उदयपुर